न्यायालय कलेक्टर, जिला-बड़वानी (म०प्र०)

क्रमांक/6702/रीडर/भूमि आबंटन/2021 बड़वानी, दिनांक 16/09/2021

रा.प्र.क. 0016/अ-20(3)/2021-22

::आदेश::

(पारित दिनांक 16/09/2021)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग बड़वानी का पत्र क्रमांक 2100/तशा./एन.डी.बी./2021-22, बड़वानी दिनांक 11-08-2021 द्वारा एन.डी.बी. सडक-02 (पैकेज 07) के अंतर्गत प्रगतिरत सेंधवा-वरला मुख्य जिला मार्ग (MP-MDR-48-22) लंबाई 40.26 कि.मी. निर्माण कार्य में बाधित वनभूमि की कुल लंबाई 16.98 कि.मी. में 3.75 मीटर (पूर्व डामरीकरण) से 7.00 मीटर चौडाई में डामरीकरण हेतु 5.518 हेक्टर वनभूमि प्रभावित होने से कार्यपालन लोक निर्माण विभाग द्वारा वनभूमि 5.518 हेक्टर के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्राम धामनिया पटवारी हल्का 25 तहसील वरला सर्वे नम्बर 40/1 कुल रकबा 15.742 हेक्टर बटांकन नवीन खसरा नंबर सर्वे 40/1/1 रकबा 6.000 हेक्टर भूमि वन विभाग को हस्तांतरण की मांग की गई है।

2/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा द्वारा तहसीलदार वरला से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । तहसीलदार वरला द्वारा प्रश्नाधीन भूमि हस्तांतरण के सम्बंध में विधिवत विज्ञप्ति जारी की गई । नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, साथ ही प्रकरण में तहसीलदार द्वारा संबंधित हल्का पटवारी से ट्रेस नक्शा, बटांकन फर्द, एक साला खसरा नकल, निस्तार पत्रक एवं संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव-ठहराव प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया । तहसीलदार वरला द्वारा ग्राम धामन्या स्थित शासकीय राजस्व की भूमि सर्वे नंबर 40/1 कुल रकबा 15.742 हेक्टर (मद चरनोई) वाली भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । उक्त भूमि बटांकन अनुसार नवीन खसरा नंबर 40/1/1 रकबा 6.000 हेक्टर भूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भवन/पथ संभाग बड़वानी के द्वारा एन.डी.बी. सड़क-02 (पैकेज-07) के अंतर्गत प्रगतिरत सेंधवा-वरला जिला मार्ग (MP-MDR-48-22) लंबाई 40.26 कि.मी. के निर्माण से प्रभावित होने से वन विभाग को हस्तांतरित किया जाना है ।

3/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा द्वारा प्रकरण में तहसीलदार वरला के अभिमत अनुसार एन.डी.बी. सडक-02 (पैकेज 07) के अंतर्गत प्रगतिरत सेंधवा-वरला मुख्य जिला मार्ग (MP-MDR-48-22) लंबाई 40.26 कि.मी. निर्माण कार्य में बाधित वनभूमि की कुल लंबाई 16.98 कि.मी. में 3.75 मीटर (पूर्व डामरीकरण) से 7.00 मीटर चौडाई में डामरीकरण हेतु 5.518 हेक्टर वनभूमि प्रभावित होने से कार्यपालयन लोक निर्माण विभाग द्वारा वनभूमि 5.518 हेक्टर के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्राम धामनिया पटवारी हल्का 25 तहसील वरला सर्वे नम्बर 40/1 कुल रकबा 15.742 हेक्टर बटांकन नवीन खसरा नंबर सर्वे 40/1/1 रकबा 6.000 हेक्टर भूमि वन विभाग को नजूल निर्वर्तन नियम-2020 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई है ।

4/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा से प्राप्त प्रकरण क्रमांक 001/अ-20(3)/2021-22 जिला नजूल निर्वर्तन समिति बड़वानी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला बड़वानी को प्रेषित किया गया ।

5/ प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 2605/भू-अभि/भूमि आवंटन/2021 बड़वानी, दिनांक 14-09-2021 द्वारा जिला नजूल निर्वर्तन समिति बड़वानी के

Scanned with CamScanner

अनुमोदन उपरांत प्रकरण प्रस्तुत किया गया । जिला नजूल निवर्तन समिति जिला बड़वानी द्वारा दिनांक 06–09–2021 को बैठक आयोजित कर परीक्षण उपरांत एन.डी.बी. सडक–02 (पैकेज 07) के अंतर्गत प्रगतिरत सेंधवा–वरला मुख्य जिला मार्ग (MP-MDR-48-22) लंबाई 40.26 कि.मी. निर्माण कार्य में रकबा 5.518 हेक्टर वनभूमि प्रभावित होने से ग्राम धामनिया पटवारी हल्का 25 तहसील वरला सर्वे नम्बर 40/1 कुल रकबा 15.742 हेक्टर में से पैकि रकबा 6.000 हेक्टर भूमि वन विभाग को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा एवं तहसीलदार वरला से प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुये म.प्र. नजूल निवर्तन नियम 2020 के अध्याय–2 के तहत हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई है ।

अतएव तहसीलदार वरला एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं जिला नजूल निर्वतन समिति की अनुशंसा के आधार पर कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग बड़वानी के प्रस्ताव अनुसार एन.डी.बी. सडक–02 (पैकेज 07) के अंतर्गत प्रगतिरत सेंधवा–वरला मुख्य जिला मार्ग (MP-MDR-48-22) लंबाई 40.26 कि.मी. निर्माण कार्य में रकबा 5.518 हेक्टर वनभूमि प्रभावित होने से वनभूमि 5.518 हेक्टर के बदले ग्राम धामनिया पटवारी हल्का 25 तहसील वरला सर्वे नम्बर 40/1 कुल रकबा 15.742 हेक्टर बटांकन अनुसार नवीन खसरा नंबर सर्वे 40/1/1 रकबा 6.000 हेक्टर म.प्र. नजूल निवर्तन नियम 2020 के अध्याय–2 के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग म.प्र. शासन को निम्न शर्तों के अधीन हस्तांतरित की जाती है ।

1– म.प्र.शासन द्वारा यदि भूमि के मूल्य/भू–भाटक आदि के संबंध में कोई शासनादेश/निर्देश दिये जाते है या अन्य कोई शर्त आरोपित की जाती है तो उन्हें मानने के लिये आवेदक विभाग बाध्य होगा।

2– भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये ही किया जा सकेगा, जिस प्रयोजन के लिय भूमि हस्तांतरित की गई है, अन्यथा भूमि अंतरण आदेश स्वमेव निरस्त होकर शासकीय भूमि पुनः शासन में समाविष्ट होगी।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी
आवक क्र.
दिनांक 17/09/21

(शिवराजसिंह वर्मा)
कलेक्टर
जिला बड़वानी, म.प्र.

पृ.क्रमांक/ 6703 /रीडर/भूमि आबंटन/2021 — बड़वानी, दिनांक 16 /09/2021

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व/वन विभाग, भोपाल।
2– आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
3– कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग बड़वानी ।
4– वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल बड़वानी/सेंधवा ।
5– प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख जिला–बडवानी ।
6– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/(लो.नि.वि.) सेंधवा ।
7– तहसीलदार वरला की ओर आदेश की प्रति सह मूल प्रकरण भेजकर लेख है कि नियमानुसार सम्पूर्ण पूर्णता एवं आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में पृविष्ट कर संशोधित अभिलेख संलग्न करते हुए मूल प्रकरण वापस प्रेषित करें । संलग्न–मूल प्रकरण

कलेक्टर,
जिला बड़वानी, म.प्र.

Scanned with CamScanner